न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

राजस्व अपील संख्याः 66 / 2018 (जीसीएमएस 2018 / 00027)

1. सत्यदान सिंह आयु व्यस्क पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी ढ़ाणी बाढ़ा तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू हाल निवासी 165, प्रिया विहार गोविन्दपुरा कालवाड़ रोड़, जयपुर।
2. सीताराम सिंह आयु व्यस्क पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी ढ़ाणी बाढ़ा तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू हाल कार्यरत फोर्थ बटालियन पुलिस लाईन दिल्ली।
3. बुद्ध सिंह पुत्र रूघनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ढ़ाणी बाढ़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू हाल कार्यरत अवध शुगर एनर्जी लिमिटेड हरगाँव जिला सीतापुरा, उत्तर प्रदेश।

---अपीलांट्स

बनाम

1. ओंम कंवर पत्नी स्व. भंवर सिंह,
2. सुरेश सिंह,
3. मैनपाल सिंह पुत्रान स्व. भंवर सिंह जाति राजपूत ढ़ाणी बाढ़ा तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू

----रेस्पोडेन्ट्स

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
5. नेपाल सिंह पुत्र छोग सिंह जाति राजपूत ढ़ाणी बाढ़ा तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।

-तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 25.08.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी, जिला झुन्झुनू के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2017 के विरूद्ध राजस्थान भू रास्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी करवाने एवं दुरूस्ती रिकॉर्ड हेतु भूमि खसरा नम्बर 422 रकबा 0.72 हैक्टेयर वाके ग्राम बाढ़ा तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू के संबंध में प्रस्तुत किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनॉक 29.12.2017 को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व रिकार्ड एवं तथ्यों व कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2017 पारित किया गया है जो विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर रिकॉर्ड व तथ्यों को न तो सही ढ़ंग से पढ़ा, न समझा तथा उनका गलत अर्थ निकालकर निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार व कोई अभिवचन किये बिना ही केवल सीमाज्ञान के अधिार पर ही पत्थरगढ़ी किये जाने व रिकॉर्ड दुरूस्ती का निर्णय पारित किया है, जो विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को कोई सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा अपीलार्थी संख्या 3 की ओर से कोई वकालतनामा भी प्रस्तुत नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण में अपीलार्थी संख्या 3 की ओर से दिनाँक 20.02.2017 को केवल अण्डरटेकिंग दी गई है, उसके पश्चात् उक्त प्रकरण में कोई वकालतनामा प्रस्तुत नहीं हुआ एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध कोई एकपक्षीय कार्यवाही भी नहीं की गई तथा अपीलार्थीगण का दिनाँक 12.12.2017 को अप्रार्थीगण जवाब नहीं देना चाहते का तथ्य अंकित करते हुये प्रार्थीगण का जवाब बन्द कर दिया गया, जबकि उक्त आदेशिका पर अपीलार्थीगण व उनके अधिवक्ता के कोई हस्ताक्षर भी नहीं हैं तथा उनकी ओर से जवाब नहीं देने के संबंध में कोई सहमति प्रकट नहीं की गई है तथा अपीलार्थी संख्या 3 की ओर से कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया गया है, इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर आनन–फानन में उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.12.2017 पारित करने में भारी कानूनी भूल की है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय न उक्त निर्णय पारित करने का अधार केवल फर्द मौका सीमाज्ञान दिनाँक 28.11.2016 को बनाया है तथा उक्त सीमाज्ञान के संबंध में उक्त निर्णय में यह तथ्य अंकित किये है कि विवादित भूमि का सीमाज्ञान विधिवत रूप से करवाया है तथा सीमाज्ञान के अनुसार ही पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है जो विधि सम्मत है, जबकि अपीलार्थीगण की भूमि का कोई सीमाज्ञान नहीं किया गया है तथा सीमाज्ञान में भी अपीलार्थीगण को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है एवं उक्त सीमाज्ञान दिनाँक 28.11.2016 भी अस्पष्ट व अधूरा है तथा उक्त सीमाज्ञान बाबत् कोई आवेदन सभी सहखातेदारों काश्तकारों द्वारा नहीं दिया गया है एवं सहखातेदारान व अपीलार्थीगण के कोई हस्ताक्षर भी उक्त सीमाज्ञान पर नहीं है, केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा ही समस्त कार्यवाही एकपक्षीय की है, उक्त सीमाज्ञान मे भी कोई सीमाचिह्न अंकित नहीं किये गये है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इन सबकी अनदेखी कर तथा विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों की ओर ध्यान नहीं देकर उक्त निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है।

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने जिस भूमि खसरा नम्बर 442 रकबा 0.72 है0 के संबंध में पत्थरगढ़ी बाबत् अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है, उक्त भूमि में अन्य सहखातेदार भी है उनकी ओर से कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार भी नहीं बनाया गया है, जिससे कानूनन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 442 के दक्षिण की ओर स्थित अपीलार्थीगण व अन्य सहखातेदारों की भूमि खसरा नम्बर 449 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 450 रकबा 5.34 हैक्टयर की पत्थरगढ़ी बाबत् अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है, जबकि उक्त भूमि के समस्त खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है तथा उक्त भूमि के खातेदार रामसिंह, रूघनाथ सिंह का स्वर्गवास हो गया है, जिनमें रामसिंह के वारसीयान अपीलार्थी संख्या 1 व 2 के अलावा रामपाल सिंह, शीशराम सिंह एवं रूघनाथ सिंह की पत्नी किरण कंवर भी है, जिनके नाम से विरासत का नामान्तरण भी नहीं हुआ है तथा जिनको उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया है तथा अपीलार्थी संख्या 1 का नाम भी शैतान सिंह गलत अंकित किया है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर तथा कोई जाँच नहीं कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.12.2017 पारित किया है जो विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व में नही थी तथा उनके अधिवक्ता द्वारा भी उक्त निर्णय के सम्बन्ध में नही बताया गया एवं दिनांक 28.01.218 को अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी करने पर उक्त निर्णय के सम्बन्ध में जानकारी कर दिनांक 29. 01.2018 को उक्त निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्ततु कर उक्त निर्णय की नकल दिनांक 30.01.2018 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई तत्पश्चात् उक्त प्रकरण से सम्बन्धित अन्य नकले दिनांक 09.02.2018 को प्राप्त की जिससे जानकारी से उक्त अपील अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा उक्त विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि ग्राम बाढा तहसील खेतडी स्थित आराजी खसरा नम्बर 442 रकबा 0.72 हैक्टयर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व अन्य सहखातेदारान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें अपीलान्ट को कोई

सम्बन्ध व सरोकार नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 442 रकबा 0.72 हैक्टयर के दक्षिण दिशा में भूमि खसरा नम्बर 449 व 450 स्थित है, उक्त भूमि के सहखातेदारान ने बाहमी बंटवारा कदीम से कर रखा है और बाहमी बंटवारे में उक्त भूमि खसरा नम्बर 449 व 450 रामसिंह व रूघुनाथ सिंह के हिस्से में आई है और उनके देहान्त के बाद अपीलान्ट व अन्य इसी भूमि पर काबिज काश्त है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नम्बर 442 की दक्षिण सीमा अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 449 व 450 के साथ लगती है अपीलान्ट रेस्पोड़ेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के खेत खसरा नम्बर 442 की दक्षिण सीमा को लेकर विवाद करते रहते है व सीमा के साथ तोड़–फोड़ करते रहते है व सीमा को तोड़ देते है और जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 सीमा ठीक करने के लिये कहते है तो वह नही मानते और मारपीट करने पर आमादा हो जाते है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया है कि उक्त परिस्थितियों के कारण रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार खेतडी को सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर तहसीलदार खेतडी ने पटवार हलका को सीमाज्ञान करवाने का आदेश दिया और पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का दिनांक 28.11.2016 को सीमाज्ञान करवाने हेतु मौके पर पहुँचकर मुताबिक रिकार्ड व सीट के खसरा नम्बर 442 रकबा 0.72 हैक्टयर का सीमाज्ञान मौके पर उपस्थित मौतबिरान के समक्ष कराया और मौके पर उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये एवं सीमाचिन्ह कायम किये गये व सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार खेतडी के समक्ष पेश की गई। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त सीमाज्ञान के पश्चात् भी अपीलान्ट् सीमाज्ञान को नही मान रहे है तथा अपीलान्ट ने मौका पाकर दिनांक 30.11.2016 को पुनः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की भूमि खसरा नम्बर 442 की दक्षिणी सीमा को तोड़ दिया एवं सीमाचिन्हो को नष्ट कर दिया जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट ने पत्थरगढी हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनने के पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन व बलहीन एवं मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया

जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि यदपि प्रत्येक खातेदार काश्तकार को अपनी आराजी की सीमाज्ञान, पत्थरगढी एवं शुद्धि करवाने के कानूनन अधिकार प्रदत्त है जिनके लिये कानून में पृथक–पृथक धाराये बनी हुई है तथा सभी की न्यायिक प्रक्रिया भी पृथक–पृथक है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतडी जिला झुन्झुनू द्वारा पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र पर ही पत्थरगढी के आदेश के साथ--साथ रिकार्ड दुरूस्ती का भी अदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतडी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतडी जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।